उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-195/2017/2049/92-2-2017-04सूचना/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 03 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-बलरामपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग श्रीदत्तगंज गोमडी से चवई खुर्द तक लिंक मार्ग में निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा की गयी जॉच आख्या दि0 31-03-2017 एवं 26-04-2017 में परिलक्षित शासकीय क्षति की धनराशि रू0 7,48,672.00 के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री ए0के0 राय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-94/2017/962/92-2-17-04सूचना/17,दि0 19-06-2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ से सम्बद्व करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालान्तर में शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री ए0के0 राय, सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत न होकर अवर अभियंता के पद पर कार्यरत है। अत: शासन द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-06-2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री ए0के0 राय, तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर के निलम्बन तथा अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में सक्षम स्तर से आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-195/2017/2049(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-लखनऊ।

3- श्री ए0के0 राय, तत्का0 अवर अभियंता,ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-बलरामपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasan.up.nic.in